

9.7.2024

खातीप

28.06.2024

फैद अहकाम

(नियम 15)

2024/312 (P)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
शिवकुमार बनाम राजेन्द्र आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 255 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11.06.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 09.07.2024 को पेश हो।	
28.06.2024	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र विशाल पेष्की पेश करने पर पत्रावली को पेष्की में लिफा 2149 वकील वादी ने डिबेटेन छिना छि वाद पत्र आगे नहि चलाना चाहे छै। मौजूदा सिफर में खारीज करवाना चाहे छै। ऊर वाद-पत्र मौजूदा सिफर में खारीज छिना जाहा छै। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर काउ ररनीक व वकील जाहा दाखिल स्फार हो।	<p>वाजीनाम लेने के बाद आगे कोइ कार्रवाई नही वाहने छै</p> <p>शिवकुमार</p> <p>28/6/24</p>

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

